।।श्री।।

# राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

## सरकार्यवाह श्री सुरेश जोशी (भैयाजी) द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य-

एक ही उद्देश्य से प्रेरित राष्ट्र एवं समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता ३-४ वर्षों के अंतराल से विचार विमर्श के उद्देश्य से एकत्रित होते है। परस्पर अनुभवों का आदान-प्रदान होता है।

इसी श्रृंखला में उज्जैन में यह समन्वय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ है। साथ ही वर्तमान सामाजिक परिस्थिति पर भी चिंतन हुआ है।

कालेधन की वापसी और भ्रष्टाचार देशव्यापी चिंता का विषय बना है। जनसामान्य को व्यथित करने वाली इस समस्या के प्रति जनभावनाएं आंदोलन के माध्यम से प्रखरता से प्रकट हो रही है। अ.भा.वि.प. द्वारा संचालित 'यूथ अगेन्स्ट करप्शन' का आंदोलन हो या स्वामी रामदेवजी के मार्गदर्शन में 'भारत स्वाभिमान ट्रस्ट' के तत्वावधान में चल रहा आंदोलन हो अथवा अण्णा हजारे जी के नेतृत्व में ''जनलोकपाल'' की मांग को लेकर चलाये जा रहे आंदोलन को मिलने वाला व्यापक जनसमर्थन देशभक्ति तथा प्रखर भावना का परिचायक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मार्च २०११ में संपन्न हुई ''अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा'' में पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले आंदोलनों का संघ समर्थन करता है। उसके अनुसार संघ के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में सभी के साथ सक्रिय रूप से सहभागी हो रहे है। अतः हमारा यह सर्मथन जारी रहेगा। हमारा यह मानना है कि विभिन्न आंदोलनों के समन्वित प्रयास होने की आवश्यकता है। सब मिलकर चलें यह आवश्यक हैं।

शांतिपूर्ण,अहिंसात्मक एवं अनुशासित ढंग से चल रहे आंदोलन का दमन करने का शासन का रवैया, आंदोलनकर्ताओं से चर्चा करते हुए समाधान ढुंढने के स्थान पर उनको कारागार में भेजना यह समझ से परे हैं। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान की दिशा में पहल हो यह सरकार की जिम्मेदारी हैं।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (National Advisory Council) द्वारा प्रस्तुत सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा नियंत्रण अधिनियम २०११ विधेयक देश की एकात्मता एवं सामाजिक सौहार्द को गंभीर हानि पहुंचाने वाला सिद्ध होगा। यह विधेयक संविधान की मुलभूत भावना पर आघात करता है। इतना ही नहीं तो यह समाज में अविश्वास तथा विघटन निर्माण करने वाला रहेगा। यह प्रस्तावित विधेयक समिति (NAC) की सांप्रदायिक एवं विघटनकारी मानसिकता को उजागर करता है।

यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के द्वारा निर्मित संघीय रचना की उपेक्षा करने वाला सिद्ध होगा और राज्यों को प्राप्त अधिकारों का हनन करने वाला रहेगा अतः इस प्रस्तावित विधेयक को सरकार सिरे से नकारे एवं इस देश की एकात्मता को सुरक्षित रखें। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने स्वयं की देश के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह खडा कर दिया है।

समाज के विभिन्न समुह प्रत्येक स्तर पर इस प्रस्तावित विधेयक का कडा विरोध करेंगे।

सरकार को चाहिए की समाज के सौहार्द के लिए हानिकारक एवं सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली इस पहल पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

उज्जैन
२० अगस्त,२०११

जारीकर्ता

डा.मनमोहन वैद्य
(अ.भा.प्रचार प्रमुख)